International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijsrst.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRST

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा"

डॉ. दिनेश कुमार यादव
सहायक आचार्य, शिक्षापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

ARTICLEINFO

Article History:
Accepted: 05 April 2023
Published: 28 April 2023

Publication Issue
Volume 10, Issue 2
March-April-2023
Page Number
978-984

शोध सारांश

इस वैविध्ययुक्त समाज में प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है। विकास की प्रक्रिया में सभी को शामिल करने की जिम्मेदारी इस पथ में शामिल सभी हितधारकों पर निर्भर करती है। साथ ही इस क्षमता को हासिल करने की जिम्मेदारी समावेशी शिक्षा के रूप में इस देश की शिक्षा व्यवस्था के कंधों पर है। हालांकि समाज को समावेशी बनाने के लिए सदियों से वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बाधाएं हैं जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा' शीर्षकान्वित इस शोधपत्र में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास सम्बद्ध बिन्दुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

इस शिक्षा नीति में 6 E's- समानता (Equity), समान पहुंच (Equal Access), समान अवसर (Equal Opportunity), समान गरिमा (Equal Dignity), प्रभावी सम्प्रेषण (Effective Communication) संस्कृति को अपनाना (Embracing Culture) इत्यादि पर विशेष रूप से बल देकर सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की रणनीतियां सुझाई गई हैं।

इनके साथ ही 5 R's- पहुँच (Reach), अधिकार (Right), उत्तरदायित्व (Responsibility), सम्बन्ध (Relationship), सम्मान (Respect) आदि के द्वारा शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। इन दोनों विषयों पर विशेष बल देते हुए वास्तविकता में समावेशन को संभव बनाने हेतु पथ प्रदर्शित किया गया है।

सभी शिक्षार्थियों के विकास के लिए कक्षा को सुरक्षित स्थान बनाने हेतु शिक्षकों के सशक्तिकरण की सरकार की योजनाओं की भी चर्चा यहाँ की गई है।

मुख्य शब्द - समावेशी शिक्षा, NEP-2020, अधिकारिता, रणनीतियां।

उपोद्घात-

''The right kind of education is not concerned with any ideology, however much it may promise a future utopia: it is not based on any system, however carefully thought out, nor is it a means of conditioning the individual in some special manner. Education in the true sense is helping

Copyright: © 2023, the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

the individual to be mature and free, to flower greatly in love and goodness. That is what we should be interested in, and not in shaping the child according to some idealistic pattern. The highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole''. J. Krishnamurti

उपर्युक्त चिंतन के अनुसार कहा जा सकता है कि सही प्रकार की शिक्षा का किसी विचारधारा से कोई सरोकार नहीं होता, चाहे वह कितनी ही अधिक अथवा भविष्य के स्वप्नलोक का वादा करने वाली ही क्यों न हो ? यह किसी भी प्रणाली पर आधारित नहीं होती है, न ही यह व्यक्ति को किसी विशेष रूप में संस्कारित करने का साधन है।

सही मायने में शिक्षा प्यार और अच्छाई में फलने फूलने की दिशा में हमारी रुचि को बनाते हुए हमें परिपक्व और स्वतन्त्र बनाने में मदद करती है। उच्चतम शिक्षा का कार्य एक सक्षम एवं एकीकृत व्यक्ति को लाना है।

इस वास्तविकता को स्वीकार करने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सुखी और खुशहाल जीवन जीने के लिए तथा जीवन के निर्णय लेते हेतु छात्रों को विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। जीवन पथ पर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो अस्तित्व सम्बंधित विभिन्न चुनौतियां आती हैं, जिनसे शिक्षा रूपी हथियार के द्वारा लड़कर ही मनुज विजय प्राप्त कर सकता है। शिक्षा एक डिग्री प्राप्ति मात्र नहीं है अपितु शिक्षा ही जीवन की वास्तविक सफलता की सूत्रधार होने के साथ ही बेरोजगारी, और पर्यावरणीय समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त करते हुए सर्वविध भ्रष्टाचार के उन्मूलन का मार्ग भी शिक्षा ही दिखाती है। राष्ट्रों को अपने देश को विकसित बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा विकसित कर उसमें सभी को शामिल किया जाए तो प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार का देश एक ऐसा जीवन जी रहा होगा, जो सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होगा और स्वतंत्र सांस ले रहा होगा, वहां पूर्ण समानता और बंधुत्व का वातावरण होगा, और जिस समाज में सभी वर्ग शामिल हों ऐसा समावेशी समाज हो तो इसे यथार्थवादी बनाया जा सकता है।

सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन (कोपेनहेगन 1995) में समावेशी समाज को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "सभी के लिए समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक अधिकार और उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए एक सक्रिय भूमिका है।"

भारत में यथा समय गठित आयोगों तथा शिक्षा नीतियों में भी इस सन्दर्भ में यथोचित सिफारिशें की गई हैं। शिक्षार्थियों के समग्र विकास के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में घोषित **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020)'** अस्तित्व में आई और इसे सक्षम बनाने के लिए इसे चरणबद्ध लागू किया जा रहा है।

नागरिकों को न केवल सीखना चाहिए बल्कि यह भी सीखना चाहिए कि कैसे सीखना है, ताकि वे तेजी से परिवर्तनों का सामना कर सकें। इसके लिए वैश्विक स्तर पर ज्ञान के परिदृश्य से गुजरना होगा जो कि समावेश के माध्यम से ही संभव है।

RTE अधिनियमन जो कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। जिसके प्रतिफल के रूप में 6-14 वर्ष की आयु की कक्षाएँ प्राथमिक स्तर पर दिन-ब-दिन अधिक विविध होती जा रही हैं। RTE-SSA का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण (Universalization of Elementary Education) है। इसके महत्वपूर्ण पहलुओं में 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की पहुंच, नामांकन और प्रतिधारण शामिल हैं। इस लक्ष्य को संवैधानिक (86वें संशोधन) अधिनियम द्वारा और सुगम बनाया गया है, जिसमें 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। इस संशोधन ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को एक नया बल दिया है। क्योंकि उन्हें शामिल किए बिना, UEE के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और उसके अभाव में सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। वास्तव में एक समूह का समावेश जो एक समावेशी संस्कृति बनाने के उद्देश्य से मानव अधिकार दृष्टिकोण पर केंद्रित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर एनईपी 2020 में भी पर्याप्त बल दिया गया है।

वर्तमान में सरकार कई नई योजनाएं नीतियां लेकर आ रही है जिनके माध्यम से प्रयास किए जा सकते हैं। उपर्युक्त योजनाओं के आलोक में सभी शिक्षार्थियों के समुचित विकास की दृष्टि से अग्रांकित विषयों पर चर्चा की जानी अत्यावश्यक है-

- समावेशी समाज की आवश्यकता।
- समावेशी शिक्षा का अर्थ।
- एनपीई 2020: समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य।
- समावेशन को वास्तविक बनाना - 6E's और 5R's।
- सरकारी योजनाएं : समग्र शिक्षा योजना।
- समावेशन की प्रक्रिया में शिक्षकों को सशक्त बनाना।

एक समावेशी समाज की आवश्यकता-

जब हम प्रगतिशील समाज की बात करते हैं तो उसमें समावेशी समाज को प्रतिबिम्बित करने की आवश्यकता होती है। समावेशी समाज एक ऐसा समाज है जो नस्ल, लिंग, वर्ग, पीढ़ी, और भूगोल के मतभेदों को खत्म कर देता है, और समावेशन, अवसर की समानता के साथ-साथ सभी सदस्यों की क्षमता सुनिश्चित करता है, ऐसा समावेशी समाज सभी मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए और जिसमें मौलिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, सामाजिक न्याय और विशेष आवश्यकताओं, कमजोर और वंचित समूह, लोकतांत्रिक भागीदारी और कानून का शासन को बढ़ावा दिया जाता है।

आर्थिक संसाधनों, राजनीतिक स्थिति, या सामाजिक प्रतिष्ठा को कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। कानूनी उपकरण मार्गदर्शक सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हैं जो इक्विटी, न्याय और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी देंगे। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को न्याय के कठघरे में लाया जाना

चाहिए। न्यायपालिका जो न्यायपूर्ण समाजों की रक्षा करती है, उसे निष्पक्ष, जवाबदेह और समावेशी होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर समाज की समावेशिता की रक्षा करने वालों की राय को महत्व देना चाहिए।

समावेशी शिक्षा का अर्थ-

Promoting inclusion is about reforming the education system. Inclusive education is much more cost effective than a segregated system, not only in terms of the running costs but also the long-term costs on the society.

-Roger Slee (UNESCO, 2005).

समावेश को बढ़ावा देना शिक्षा प्रणाली में सुधार करने से सम्बंधित है। एक अलग प्रणाली की तुलना में समावेशी शिक्षा बहुत अधिक प्रभावी है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी छात्रों की शिक्षा, जिसमें सभी छात्र सीखने की प्रक्रिया में समान भागीदार हों। 'समावेशी शिक्षा' शब्द एकीकृत शिक्षा से एक कदम आगे है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जो भाषाई असमानता या विकलांग बच्चों के समावेशन पर आधारित हो।

एक समावेशी कक्षा में अन्य लोगों के साथ विकलांग या प्रतिभावान बच्चे, सड़क पर रहने वाले या कामकाजी बच्चे, दूरस्थ या खानाबदोश आबादी से संबंधित बच्चे, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे सम्मिलित हों। इसलिए समावेशन के अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है-

- समावेशन छात्रों के एक व्यक्ति या छोटे समूह पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, जिनके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलित किया गया है या अलग से तैयार किया गया है।
- पहचाने गए विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले व्यक्तिगत विद्यार्थियों को मौजूदा स्कूली शिक्षा के रूप में कैसे आत्मसात किया जाना समावेशन है।
- समावेशन एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत रूप में जवाबदेह होता है।
- जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के रूप में समावेशन और बहिष्करण का संबंध है; अधिक समावेशी प्रथाओं का विकास करने वाले विद्यालयों को दोनों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।
- समावेशन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए पाठ्यचर्या प्रावधान के पुनर्निर्माण पर बल देता है।
- समावेशन विद्यालय की समग्र प्रभावशीलता पर बल देता है।
- समावेशन संभवतः विशेष विद्यालयों सहित सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए प्रासंगिक है।

NEP 2020: समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य-

यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय शिक्षा में स्पष्ट सुधार देखा गया है, विशेष रूप से हाल के वर्षों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे एवं छात्रों के नामांकन के संबंध में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उच्च वर्ग में नामांकन बढ़ाने में सफल रहा है। प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) राष्ट्रीय स्तर पर, 2009-2016 के बीच में छात्रों की संख्या में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एनपीईई 2020 में संबोधित करने का प्रयास किया गया है कि बढ़ती असमानता और विषमता आज देश की शिक्षा प्रणाली की नाक में दम कर रही है। एनईपी 2020 सामाजिक-आर्थिक तबके और कमजोर लोगों के बीच उच्च

ड्रॉपआउट दर को पहचानता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में उन बाधाओं की पहचान की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की कम भागीदारी, बच्चों की अपूर्ण शैक्षिक आवश्यकताओं, भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों के रूप में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में आज भी बाधक बने हुए हैं। एनपीई 2020 ने मानव अधिकार दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया कि प्रत्येक मानव के पास अवसर हों जो उन्हें सपने देखने, फलने-फूलने और राष्ट्र के लिए योगदान देने में सक्षम बनाते हुए एक समावेशी संस्कृति के मार्ग से समावेशी समाज का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हों। यह नीति विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016 और विशेष शिक्षा के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

समावेशन को वास्तविकता बनाना - 6E's और 5R's

शिक्षक जब बच्चों को देखते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में एक विचार आता है कि बच्चों के पास विविध पहचान है, लेकिन बच्चे एक जैसे क्यों दिखते हैं? उनके स्कूल यूनिफॉर्म के साथ क्या वे समान नहीं दिखते? न केवल उनके शारीरिक आकार के रूप में अपितु कुछ धारणाओं व गुणों के सम्बन्ध में, यथा- बात करते समय चंचलता, भोलापन, पवित्रता, अच्छाई आदि के रूप में बच्चा आखिर बच्चा होता है। एक शिक्षित नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम सभी का समावेश सुनिश्चित करें। इसके लिए यदि हम विश्लेषण करें तो NEP- 2020 में इसने 6E's और 5R's की योजना से इस विषय पर समुचित ध्यान केंद्रित किया गया है। कक्षा की रणनीतियों में संशोधन के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ाने पर चिन्तन किया गया है

1. टीम शिक्षण-

टीम शिक्षण एक दृष्टिकोण है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ योजना बनाते हैं, एक साथ पढ़ाएं और एक साथ मूल्यांकन करें। एक शिक्षक के रूप में गहराई से काम करना होगा। समावेशी विद्यालयों में नियमित शिक्षा के मार्ग से समावेशी शिक्षा को मुख्य धारा में लाया जाना आवश्यक है।

2. सहकारी सीखना-

सहकारी अधिगम एक रणनीति है जिसका उपयोग छात्रों के समूह/संख्या द्वारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें नामांकित विकलांग बच्चे आपसी सहयोग से साझा प्रयासों से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।

3. भूमिका निभाना और अवलोकन-

भूमिका निभाना छात्र हित को जोड़ने, अभ्यास तथा प्रतिक्रिया के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए एक सहायक तकनीक है। प्रेरणा प्रदान करने का एक मार्ग है।

- **आकलन पैटर्न में संशोधन-**

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, पारख को सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन की दृष्टि से न्यायसंगत प्रणाली बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु स्कूली शिक्षा के लिए वैकल्पिक मॉडल प्रस्तावित हैं।

- **विशेष शैक्षिक क्षेत्रों का निर्माण-**

एनईपी की असाधारण सिफारिशों में से एक विशेष शैक्षिक क्षेत्रों का निर्माण स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक वंचित क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार करना है। हालांकि यह विचार नया है लेकिन दुर्गम शैक्षिक पहुंच को सुगम में बदलने के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

• **सरकारी योजनाएं : समग्र शिक्षा योजना-**

सरकार द्वारा की गई एक अन्य पहल समग्र शिक्षा योजना के रूप में है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना 2.0 को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मंजूरी दे दी है। यह विद्यालयीय शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना जो कि प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक संपूर्ण सरगम को कवर करने वाली है, जो कि समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही समान, और सस्ती स्कूली शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष-

NEP- 2020 में समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से लैंगिक श्रेणियों, अल्पसंख्यकों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचाना गया है, तथा उनके निराकरण हेतु प्रशंसनीय कदमों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव करने के मामले में भी इसने अच्छा काम किया है। दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए वेशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ) बनाने हेतु योजना की गई है। संशोधनों के माध्यम से सभी के लिए अवसरों को सुलभ बनाया जा सकता है। समावेशन से तात्पर्य विजन (Vision) + प्लेसमेंट (Placement) + सपोर्ट (Support) + रिसोर्स (Resources) + लीडरशिप (Leadership) + 5As (Acceptance, Access, Adapted Curriculum, Adapted Assessment, Adapted Teaching)

इसलिए हम कह सकते हैं कि समावेशी अभिविन्यास वाले नियमित स्कूल सबसे प्रभावी साधन हैं जो भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का मुकाबला करने, स्वागत करने वाले समुदायों का निर्माण करने, एक समावेशी समाज का निर्माण करने तथा सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के साथ ही वे एक प्रभावी शिक्षा प्रदान करते हैं। इस रूप में अधिकांश बच्चों की कुशलता एवं दक्षता में सुधार लाने के साथ ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इस प्रकार की शिक्षा ही सक्षम शिक्षा व्यवस्था होगी ।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. बत्रा पूनम, 2005. "वॉयस एंड एजेंसी ऑफ़ टीचर्स: मिसिंग लिंक इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 1 अक्टूबर, पृ. सं. 4347- 4356।
2. DISE (2013), “भारत में प्राथमिक शिक्षा: यूईई की ओर प्रगति”, दिल्ली, भारत: NUEPA एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ. सं. 27.
3. हरग्रीव्स, ए. (1994) “चेंजिंग टीचर्स, चेंजिंग टाइम्स: टीचर्स वर्क एंड कल्चर इन द पोस्ट मॉडर्न एज”, लंदन: कैसेल।
4. भारत सरकार, 1993. "लर्निंग विदाउट बर्डन", राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
5. भारत सरकार, 2009. “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कानून मंत्रालय। और न्याय (विधायी विभाग) वेबसाइट से एक्सेस किया गया।
6. भारत सरकार, 2009 “शिक्षक विकास और प्रबंधन, के लिए चर्चा और सुझाव शिक्षक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरती नीति और अभ्यास और प्रबंधन, नई दिल्ली: एमएचआरडी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।
7. एनसीईआरटी, 2005. “राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा”, 2005, नई दिल्ली।

8. एनसीटीई, 2009. “तैयारी की दिशा में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- पेशेवर और मानवीय शिक्षक, नई दिल्ली।

9. यूनेस्को. 2003. “शिक्षा में समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से बहिष्करण पर काबू पाना: एक चुनौती और एक दृष्टि”, पेरिस।

https://www.orfonline.org/expert-speak/equitable-and-inclusive-vision-in-the-nep-2020